रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1992/चैत्र 4, 1914
No. 202] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1992/CHAITRA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

का. आ. 230(अ):—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,—

(क) भाग 4 के शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 1

मतपत्र द्वारा मतदान" ;

(ख) नियम 28 में, "इस भाग में," शब्दों के स्थान पर, "इस अध्याय और अध्याय 2 में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) नियम 49 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 2

इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान।"

49क. इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का परिकल्प: प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन कहा गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगा और वह ऐसी परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

49ख. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान यूनिट पर विशिष्टियां:—

1. मतदान मशीन के मतदान यूनिट पर विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे ।

अभ्यर्थियों के नाम मतदान यूनिट पर उसी क्रम से लिखे होंगे जिस क्रम से वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनके उपजीविका या निवास-स्थान जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जाएगा ।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर,—

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और चिह्नों को अंतर्विष्ट करने वाला लेबल मतदान यूनिट में लगाएगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थित करेगा और अभ्यर्थी व्यवस्था अनुभाग को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्रांकित करेगा।

49 ग मतदान केन्द्रों में इंतजाम—हर एक मतदान केन्द्र के बारे—

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी ।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचन सम्प्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे ।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसा अन्य निर्वाचन सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा ।

(4) निर्वाचन आफिसर, उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा ।

49. घ मतदान केन्द्रों में प्रवेश—पीठासीन आफिसर निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा—

(क) मतदान आफिसरों के,

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरत लोक सेवकों के;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के;

(च) अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर नियम 49ख के उपनियम (2) या नियम 49ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

सिवाय सब अन्य व्यक्ति वहां से अपवर्जित करेगा ।

49 ङ मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना,—

(1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर—

(क) यदि निर्वाचन क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम,

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम,

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और

(घ) मतदान की तारीख,

चिन्हित होगा या होंगे ।

(2) मतदान के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेबल लगा है ।

(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन आफिसर पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों ।

(4) पीठासीन आफिसर इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा ।

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो ।

(6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप में बंद और मुद्रांकित किया जाएगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन आफिसर और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा ।

49च निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति—मतदान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, पीठासीन आफिसर मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में—

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में किए गए चिन्ह से भिन्न कोई चिन्ह,

अन्तर्विष्ट नहीं है ।

49छ. मतदात्रियों के लिए सुविधाएं : (1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासीन आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक् टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर किसी स्त्री को मतदात्रियों को सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान लेने में साधारणतया पीठासीन आफिसर की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जब कि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

49ज. निर्वाचकों का अभिज्ञान—(1) पीठासीन आफिसर ऐसे व्यक्तियों को जैसों को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा ।

(2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश कर वैसे-वैसे पीठासीन आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान आफिसर निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा ।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन आफिसर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान आफिसर के समक्ष निर्वाचक अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करेगा ।

(4) किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों को उस दशा में अनवेक्षा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबंध है ।

49झ. निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं—(1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है ।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन आफिसर—

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अंत में प्रविष्ट कराएगा; तथा

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है ।

49ञ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप—(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन आफिसर के पास नकद दो रुपए की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा ।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसा निक्षेप किए जाने पर—

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरा तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है ;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा

(3) पीठासीन आफिसर तत्पश्चात उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने को प्रस्थापना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा ।

(4) यदि जांच के पश्चात पीठासीन आफिसर का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दें, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विनिवर्तित करेगा ।

(5) यदि पीठासीन आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए ।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय—(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर द्वारा किया जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाया जाने देगा ।

(2) यदि कोई निर्वाचक—

(क) अपनी बाईं तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसको अपनी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से है या ऐसे स्याही चिन्ह का हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है अथवा,

(ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है,

तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा ।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहां उस निर्वाचक को, जिसकी बाईं तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिन्हित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा ।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है ।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया—(1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान आफिसर—

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा ;

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा ; और

(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की विकृत प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिन्हित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है :

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो।

(2) नियम 2 के उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया – (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन् पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात तत्काल –

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा ;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा ; और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) हर निर्वाचक असम्यक् विलंब के बिना मत देगा।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ या 49त के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात भी इंकार करे, तो पीठासीन आफिसर या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन आफिसर अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

49ढ. अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन–

(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथ के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना– यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 49ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49त. यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाए निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तत्क्षण,—

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा ;

(ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, एक क्रास चिह्न (X) लगा कर अभिलिखित करेगा ;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन आफिसर को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिन्ह दर्शित करेगा;

(ङ) उसे पीठासीन आफिसर को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) यदि अन्धेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रखते हुए और नियम 49ढ में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49थ. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन आफिसर का प्रवेश करना––(1) जब कभी पीठासीन आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उसमें की मतदान यूनिट से किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए।

(2) यदि पीठासीन आफिसर के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन आफिसर मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यदि वे ऐसी वांछा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49ड. मतदान बन्द करना—(1) पीठासीन आफिसर मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन नियमित नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन आफिसर द्वारा किया जायगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

49ढ. अभिलिखित मतों का लेखा—(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग में मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक लिफाफे में परिवेष्ठित कर उस पर अभिलिखित मतों का लेखा शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् देगा और उसे सही प्रति रूप के में अनुप्रमाणित करेगा।

49ण. मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना—(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन आफिसर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बन्द कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् अलग-अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे मुद्राबंद और सुरक्षित किया जायेगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी मुद्रा लगाने की वांछा करें को भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49त अन्य पैकेटों को मुद्राबन्द करना—(1) पीठासीन आफिसर तब—

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के,

(ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के,

(ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 17ख में सूची के,

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के; और

(ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि वे मुद्राबन्द पैकेट में रखे जाएं, पृथक पैकेट, बनाएगा।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन आफिसर की ओर या तो अभ्यर्थी की या उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता की जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जायगा।

49थ मतदान मशीन आदि का रिटर्निंग आफिसर को पारेषण—(1) पीठासीन आफिसर तब रिटर्निंग आफिसर को—

(क) मतदान मशीन,

(ख) प्ररूप 17ग में अभिलिखित मतों का लेखा,

(ग) नियम 49त में निर्दिष्ट मुद्राबद्ध पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गए सब अन्य कागजपत्र ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर निदिष्ट करे, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49द मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया—(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 49घ से 49थ तक के उपबंध यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन नियमित नियत समय पर बन्द हुआ हो।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ है तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को जिसमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबन्द पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अंतर्विष्ट है, प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर और एक नई मतदान मशीन उपबंधित करेगा।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबन्द पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचकों के नाम, जिन्हें स्थगित मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिह्नित करने के लिए करेगा।

(5) नियम 28 और नियम 49क से 49 फ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

49-ध. बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना—जहां पीठासीन आफिसर की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त बन्द कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाएं तथा मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।

(च) नियम 66 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"66क. जहां इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया है मतों की गणना—जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना के संबंध में,—

(1) नियम 50 से 54 के उपबंध और नियम 55, 56 और 57 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम लागू होंगे—

"55क. मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण:—

(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई गई मतदान मशीनों के नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसे यूनिट में अभिलिखित किए गए मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा ।

(2) इसके पहले कि किसी मतदान मशीन में अभिलिखित किए गए मतों की उप नियम (1) के अधीन गणना की जाती है अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता जो गणना पटल पर उपस्थित है को उस पत्र मुद्रा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का जो यूनिट पर लगी हो का निरीक्षण और अपना यह समाधान कि मुद्रा अविकल है, करने दिया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है ।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की बाबत जहां उस मशीन का प्रयोग किया गया है को यथा लागू धारा 58 या धारा 58-क या धारा 64क में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

56म. मतों की गणना--(1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे "परिणाम" (Result) चिह्नित उपयुक्त बटन को दबा कर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे ।

(2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मतों का संप्रदर्शन किया जाता है, रिटर्निंग आफिसर--

(क) प्ररूप 17ग के भाग-2 में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत ऐसे मतों की संख्या अलग-अलग अभिलिखित कराएगा ;

(ख) प्ररूप 17ग का भाग-2 अन्य संवर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराएगा; और

(ग) परिणाम शीट प्ररूप 20 में तत्स्थानी प्रविष्टियां कराएगा और परिणाम शीट में इस प्रकार भरे विशिष्टियों को घोषणा कराएगा ।

57ग. मतदान मशीनों का मुद्राबद्ध करना--(1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिलिखित करने और नियम 56ग के अधीन प्ररूप 17ग के भाग 2 और प्ररूप 20 में भरे करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें मुद्रा से यूनिट को पुनः मुद्राबन्द करेगा जिससे यूनिट में अभिलिखित मतदान का फल न मिटाया जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति प्रतिधारित कर सके ।

(2) इस प्रकार मुद्राबन्द किए गए नियंत्रण यूनिट को विशेष रूप से तैयार किए गए बक्सों में रखा जाएगा जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात्:--

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

(ख) उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लाया गया है;

(ग) नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्यांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) गणना की तारीख ।

(ii) नियम 60 से 66 के उपबंध जहां तक हो सके मतदान मशीनों द्वारा मतदान करने के संबंध में लागू होंगे और उन नियमों में कोई विनिर्देश,--

(क) मतपत्र को ऐसी मतदान मशीन के विनिर्देश में सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) कोई नियम भाग 4 के अध्याय 2 के तत्स्थानी नियम या यथास्थिति, नियम 55ग या 56ग अथवा 57ग के विनिर्देश समझा जाएगा ।

(ग) मूल नियमों के नियम 92 में,

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(1क) किसी निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सभी मतदान मशीनों को संबंधित जिला निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।"

(ii) उप नियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट ।"

(च) मूल नियमों के नियम 93 में,--

(i) उपनियम (1) में खंड (घ) के बाद निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट ।"

(ii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(1क) नियम 57ग के उपबंधों के अधीन मुद्राबन्द की गई और जिला निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में रखे गए नियंत्रण यूनिटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन के सिवाए खोला नहीं जाएगा और किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।"

(छ) मूल नियमों के नियम 94 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(कक) नियम 92 के उप नियम (1क) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीनें, ऐसी कालावधि के लिए अखंड रूप में प्रतिधृत रखी जाएंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और उनका किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा ।"

(ज) नियम 94-क के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"95. निदेश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति--इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते निर्वाचन आयोग मतदान मशीनों के समुचित उपयोग और प्रचालन को सुकर बनाने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।"

(झ) प्ररूप 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप—17क

(नियम 49ठ देखिए)

मतदाता रजिस्टर

————————————————निर्वाचन क्षेत्र से————————————लोक सभा/राज्य/संघ

राज्यक्षेत्रों की विधान सभा————————————————के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम————————————————

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक————————————————

क्रम संख्यांक	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
1.			
2.			
3.			
4.			

आदि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 17ख

(नियम 49ब देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

————————————————निर्वाचन क्षेत्र से————————————लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्यांक और नाम————————————————

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक————————————————

क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली मे निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17क) क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है ।	निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9				
10				

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 17ग

[नियम 49घ और 56ग (2) देखिए]

भाग—1 अभिलिखित मतों का लेखा

——————————निर्वाचन क्षेत्र से——————————लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्यांक और नाम——————————

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान नियंत्रण यूनिट

मतदान यूनिट

मशीन का पहचान संख्यांक

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

S.O. 230(E).—In exercise of the powers conferred by Section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the principal rules),

(a) after the heading to Part IV, the following shall be inserted, namely :—

"Chapter 1

Voting by ballot" ;

(b) in rule 28, for the words "In this Part", the words "In this Chapter and Chapter II" shall be substituted ;

(c) after rule 49, the following shall be inserted namely :—

'Chapter II

Voting by Electronic Voting Machines

49A. Design of Eletronic Voting Machines.—Every electronic voting machine (hereinafter referred to as the voting machine) shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such designs as may be approved by the Election Commission.

49B. Preparation of voting machine by the returning Officer :—

(1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.

(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.

(4) Subject to the foregoing provisions of this rule, the returning officer shall,—

(a) fix the label containing the names and symbol of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same ;

(b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

49C. Arrangements at the Polling Stations.—(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently—

(a) a notice specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at the polling station and, when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled ; and

(b) a copy of the list of contesting candidates.

773 GI/92—2.

(2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the electors can record their votes free from observation.

(3) The returning officer shall provide at each polling station one voting machine and copies of relevant part of the electoral roll and such other election material as may be necessary for taking the poll.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3), the returning officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.

49D. Admission to polling stations.—The presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than,

(a) polling officers ;

(b) public servants on duty in connection with the election ;

(c) persons authorised by the Election Commission ;

(d) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 13, one polling agent of each candidate ;

(e) a child in arms accompanying as elector ;

(f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help ; and

(g) such other persons as the returning officer or the presiding officer may employ under sub-rule (2) of rule 49-G or sub-rule (1) of rule 49-H.

49F. Preparation of voting machine for poll.—1 The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a lable marked with—

(a) the serial number, if any, and the name of the constituency ;

(b) the serial number and name of the polling station or stations as the case may be ;

(c) the serial number of the unit ; and

(d) the date of poll.

(2) Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (4).

(3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine, and the presiding officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.

(4) The presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefor in the control unit of the voting machine and shall secure and seal the same.

(5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after the unit has been sealed, it is not possible to press the "result button" without breaking the seal.

(6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the presiding officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.

49F. Marked copy of electoral roll—Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall also demonstrate to the Polling agents and others present that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain—

(a) any entry other than that made in pursuance of clause (b) of sub-rule (2) of rule 20; and

(b) any mark other than the mark made in pursuance of clause (b) of sub-rule (2) of rule 23.

49G. Facilities for women electors.—(1) Where a polling station is for both men and women electors, the presiding officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(2) The returning officer or the presiding officer may appoint a women to serve as an attendant at any polling station to assist women electors and also to assist the presiding officer generally in tkaing the poll in respect of women electors, and, in particular, to help/frisking any woman elector in case it becomes necessary.

49H. Identification of electors.—(1) The presiding officer may employ at the polling station such persons as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in taking the poll.

(2) As each elector enters the polling station, the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars with the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(3) Where the polling station is situated in a constituency electors of which have been supplied with identity cards under the provisions of the Registration of Electors Rules, 1960, the elector shall produce his identity card before the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf.

(4) In deciding the right of a person to cast his vote, the presiding officer or the polling officer, as the case may be, shall over look the clerical or printing errors in an entry in the electoral roll if he is satisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

49I. Facilities for public servants on election duty.—(1) The provisions of rule 49-H shall not apply to any person who produces at the polling station an election duty certificate in Form-12B and seeks permission to cast his vote at that polling station although it is different from the one where he is entitled to vote.

(2) On production of such certificate, the Presiding Officer shall—

(a) obtain thereon, the signature of the person producing it ;

(b) have the person's name and electoral roll number as mentioned in the certificate entered at the end of the marked copy of the electoral roll ; and

(c) permit him to cast his vote in the same manner as for an elector entitled to vote at that polling station.

49J Challenging of Identity.—(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of two rupees in cash with the presiding officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the presiding officer shall—

(a) warn the person challenged of the penalty for personation ;

(b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;

(c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 14 ; and

(d) require him to affix his signature in the said list

(3) The presiding officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose,—

(a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity ;

(b) put to the person challenged any questions necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath ; and

(c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established he shall allow the person challenged to vote ; and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to Government, and in any other case, returned to the challenger at the conclusion of the inquiry.

49K. Safeguards against personation.—(1) Every elector about whose identity the presiding officer or the polling officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the presiding officer or polling officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) If any elector—

(a) refuse to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, or

(b) fails or refuses to produce his identity card as required by sub-rule (3) of rule 49-H he shall not be allowed to vote.

(3) Where a poll is taken simultaneously in a Parliamentary constituency and an assembly constituency, and elector whose left forefinger has been marked with indelible ink or who has produced his identity card at one such election, shall not withstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) be permitted to cast his vote for the other election.

(4) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand, and shall, in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

49L. Procedure for voting by voting machines.—(1) Before permitting an elector to vote, the polling officer shall—

(a) record the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll in a register of voters in Form 17-A.

(b) obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said register of votes ; and

(c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that he has been allowed to vote.

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 2, it shall be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the register of voters.

49M. Maintenance of secrecy of voting by electors within the polling station and voting procedures :—

(1) Every elector who has been permitted to vote under rule 49-L shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) Immediately on being permitted to vote the elector shall proceed to the presiding officer or the polling officer incharge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit; for recording of elector's vote.

(3) The elector shall thereafter forthwith—

(a) proceed to the voting compartment ;

(b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote ; and

(c) come out of the voting compartment and leave the polling station.

(4) Every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter the voting compartment when another elector is inside it.

(6) If an elector who has been permitted to vote under rule 49-L or rule 49-P refuses after warning given by the presiding officer to observe the procedure laid down in sub-rule (3) of the said rules, the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer shall not allow such elector to vote.

(7) Where an elector is not allowed to vote under sub-rule (6), a remark to the effect that voting procedure has been violated shall be made against the elector's name in the register of voters in Form—17-A by the presiding Officer under his signature.

49N. Recording of votes of blind or infirm electors.—(1) If the presiding officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities an elector is unable to recognise the symbol on the balloting unit of the voting machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance the presiding officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes;

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day;

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule that person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on that day.

(2) The presiding officer shall keep a record in Form-14A of all cases under this rule.

49O. Elector deciding not to vote.—If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form-17A and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub-rule (1) of rule 49L, decided not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form-17A by the presiding officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark.

49P. Tendered Votes.—(1) If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit, supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design, and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) Every such elector shall before being supplied with tendered ballot paper write his name against the entry relating to him in Form-17B.

(3) On receiving the ballot paper he shall forthwith—

(a) proceed to the voting compartment;

(b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'X' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote.

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote.

(d) show to the presiding officer, if required, the distinguishing mark on the ballot paper;

(e) give it to the presiding officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and

(f) leave the polling station.

(4) If owing blindness or physical infirmities, such elector is unable to record his vote without assistance; the presiding officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in rule 49N for recording the vote in accordance with his wishes.

49Q. Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.—(1) the presiding officer may whenever he considers it necessary so to do, enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.

(2) If the presiding officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.

(3) Whenver the presiding officer enters the voting compartment under this rule, he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.

49R. Closing of Poll.—(1) The presiding officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf under section 56 and shall not thereafter admit any elector into the polling station :

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed it shall be decided by the presiding officer and his decision shall be final.

49S. Account of votes recorded.—(1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare an account of votes recorded in Form-17-C and enclose it in a separate cover with the words 'Account of Votes Recorded' superscribed thereon.

(2) The presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entries made in Form-17C after obtaining a receipt from the said polling agent therefor and shall attest it as a true copy.

49T. Sealing of voting machine after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.

49U. Sealing of other packets.—(1) The presiding officer shall then make into separate packets,—

(a) the marked copy of the electoral roll;

(b) the register of voters in Form 17A;

(c) the cover containing the tendered ballot papers and the list in Form-17B;

(d) the list of challenged votes; and

(e) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each packet shall be sealed with the seal of the presiding officer and with the seal either of the candidate or of his election agent or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire to affix his seal thereon.

49V. Transmission of voting machines, etc. to the returning officer.—(1) The presiding officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer at such place as the returning officer may direct.—

(a) the voting machine;

(b) the account of votes recorded in Form-17C;

(c) the sealed packets referred to in rule 49 U; and

(d) all other papers used at the poll.

(2) The returning officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for their safe custody until the commencement of the counting of votes.

49W. Procedure on adjournment of poll.—(1) If the poll at any polling station is adjourned under sub-section (1) of section 57, the provision of rules 49S to 49V shall, as far as practicable, apply as if the poll was closed at the hour fixed in that behalf under section 56.

(2) When an adjourned poll is recommended under sub-section (2) of section 57, the electors who have already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.

(3) The returning officer shall provide the presiding officer of the polling station at which such adjourned poll is held, with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll, register of voters in Form 17A and a new voting machine.

(4) The presiding officer shall open the sealed packet in the presence of the polling agents present and use the marked copy of the electoral roll for marking the names of the electors who are allowed to vote at the adjourned poll.

(5) The provisions of rule 28 and rules 49A to 49V shall apply in relation to the conduct of an adjourned poll before it was so adjourned.

49X. Closing of voting machine in case of booth capturing. Where the presiding officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting that from the control unit.

(d) after rule 66, the following shall be inserted, namely.—'66A. Counting of votes where electronic voting machines have been used.—In relation to the counting of votes at a polling station, where voting machine has been used,—

(i) the provisions of rules 50 to 54 and in lieu of rules 55, 56 and 57, the following rules shall respectively apply, namely :—

"55C. Scrutiny and inspection of voting machines :

(1) The returning officer may have the control units of the voting machines used at more than one polling station taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units counted simultaneously.

(2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1), the candidate or his election agent or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.

(3) The returning officer shall satisfy himself that none of the voting machines has in fact been tampered with.

(4) If the returning officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in section 58, or section 58A or section 64A, as may be applicable in respect of the polling or stations where that machine was used.

56C. Counting of votes.—(1) After the returning officer is satisfied that a voting machine has in fact not been tempered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked "Result" provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled by each candidate shall be displayed in respect of each such candidate on the display panel provided for the purpose in the unit.

(2) As the votes polled by each candidate are displayed on the control unit, the returning officer shall have,—

(a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate in Part-II of Form-17C;

(b) Part-II of Form-17C completed in other respects and signed by the counting supervisor and also by the candidates or their election agents or their counting agents present; and

(c) corresponding entries made in a result sheet in Form-20 and the particulars so entered in the result sheet announced.

57C. Sealing of voting machines.—(1) After the result of voting recorded in a control unit has been ascertained candidate-wise and entered in Part II of Form 17C and Form 20 under rule 56C, the returning officer shall reseal the unit with his seal and the seals of such of the candidates or their election agents present who may desire to affix the it seals thereon so however that the result of voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.

(2) The control unit so sealed shall be kept in specially prepared boxes on which the returning officer shall record the following particulars, namely :—

(a) the name of the constituency;

(b) the particulars of polling station or stations where the control unit has been used;

(c) serial number of the control unit;

(d) date of poll; and

(e) date of counting";

(ii) the provisions of rules 60 to 66 shall, so far as may be, apply in relation to voting by voting machines and any reference in those rules to,—

(a) ballot paper shall be construed as including a reference to such voting machine;

(b) any rule shall be construed as a reference to the corresponding rule in Chapter II of Part IV or, as the case may be, to rule 55C or 56C or 57C.

(e) in rule 92 of the principal rules,—

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1A) All voting machines used at an election shall be kept in the custody of the concerned district election officer";

(ii) in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

"(dd) the packets containing registers of voters in Form-17A;

(f) in rule 93 of the principal rules.—

(i) in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

"(dd) the packets containing registers of voters in Form 17-A",

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(1A) The control units sealed under the provisions of rule 57C and kept in the custody of the district election officer shall not be opened and shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the orders of a competent court".

(g) in rule 94 of the principal rules, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

"(aa) the voting machines kept in the custody of the district election officer under sub-rule (1A) of rule 92 shall be retained intact for such period as the Election Commission may direct and shall not be used at any subsequent election without the previous approval of the Election Commission;";

(h) after rule 94A, the following rule shall be inserted, namely :—

(i) after Form 17, the following Forms shall be inserted, namely :—

Power of the Election Commission to issue directions.—

"95. Subject to the other provisions of these rules, the Election Commission may issue such directions as it may consider necessary to facilitate the proper use and operation of the voting machines.";

FORM—17A

(See Rule 49L)

REGISTER OF VOTERS

Election to the House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory.....

from.....Constituency No. and Name of Polling Station.....

Part No. of Electoral Roll.....

.....

Sl. No.	Sl. No. of elector in the electoral roll	Signature/Thumb impression of elector	Remarks
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Signature of the Presiding Officer

FORM–17B

(See Rule 49P)

LIST OF TENDERED VOTES

Election to the House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory.....

from ..... Constituency.

No. and Name of Polling Station .....

Part No. of Electoral Roll.....

Sl. No.	Name of elector	Sl. No. of elector in electoral roll	Sl. No. in Register of voters (Form 17A) of the person who has already voted in place of elector	Signature/Thumb impression of elector
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Date

Signature of the Presiding Officer

FORM–17C

[See rule 49S and 56C (2)]

PART I–ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to House of the People/Legislative Assembly of the State/Union territory.............
from————————————————————————————————
Constituency.

No. and Name of Polling Station ————————————————————

Identification No. of Voting Control Unit ————————————————————

Machine used at the Polling Station balloting Unit

1. Total No. of electors assigned to the Polling Station.
2. Total No. of voters as entered in the Register for Voters (Form 17A)
3. No. of voters deciding not to record votes under rule 49 O
4. No. of voters not allowed to vote under rule 49M
5. Total No. of votes recorded as per voting machine.
6. Whether the total No. of votes as shown against item 5 tallies with the total No. of voters as shown against item 2 minus Nos. of voters deciding not to record votes as against item 3 minus No. of Voters as against item 4 (2-3-4) or any discrepancy noticed.
7. No. of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 49P.
8. No. of tendered ballot papers.

	Sl. No. From	to
(a) received for use		
(b) issued to electors		
(c) not used and returned		

9. Account of papers seals

Sl. Nos.

From To

1. Serial Numbers of paper seals supplied From————————to——————
2. Total numbers supplied ——————
3. Number of paper seals used ——————
4. Number of unused paper seals return to Returning Officer (Deduct item 3 from item 2)
5. Serail number of damaged paper Seal, if any

Signature of Polling agents.

1. ——————————
2. ——————————
3. ——————————
4. ——————————
5. ——————————
6. ——————————

Date

Place

Signature of Presiding Officer

Polling Station No.——————————

PART II—RESULT OF COUNTING

Sl. No.	Name of Candidate	No. of Votes recorded
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Total		

Wh ther thc total nos. of votes shown above tallies with the total No. of votes shown against item 5 of Part I or any discrepancy noticed betweenthe two totals.

Place, ...

Date .....

Signature of Counting Supervisor

Namc of candidate/election agent/counting agent

Full signature

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Place———

Date ———

Signature of Returning Officer."

[F.No. 7(36)/91–Leg. II]

B. L. MATHURIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992